बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/परिवाद (नालन्दा) 12–381/2024–........................ (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–........................

परिवादी श्री विश्वजीत कुमार से प्राप्त परिवादी पत्र के आलोक में जमाबंदी सं0–373 भाग–1, पृष्ठं 326, जमाबंदी रैयत–सैयद सैजल, पिता–सैयद समरूल के नाम स संचालित जमाबंदी से खाता सं0–146, खेसरा–1303, रकवा–1 एकड़ 84 डी0 एवं खाता सं0–407 खेसरा–1225, रकवा–20 डी0 की प्रविष्टि जो तत्कालीन राजस्व कर्मचारी श्री अजय कुमार और अंचल अधिकारी, श्री सुनील कुमार के द्वारा की गयी थी, को RoR के माध्यम से विलोपन की कार्रवाई काफी विलम्ब से दिनांक–01.08.2025 को किये जाने एवं खाता सं0–199, खेसरा सं0–1294, रकवा–48 डी0 की दोहरी जमाबंदी के सुधार हेतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण **श्री रविन्द्र कुमार चौपाल, अंचल अधिकारी, अस्थावॉ, नालन्दा** के विरूद्ध विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित किया गया है।

2. गठित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक–192(15), दिनांक–23.02.2026 द्वारा श्री चौपाल से लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री चौपाल द्वारा अंचल अधिकारी, अस्थावॉ के कार्यालय पत्रांक–235 दिनांक–06.03.2026 से स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त पाया गया कि जमाबंदी सं0–373, भाग–1, पृ०–326, जमाबंदी रैयत–सैयद सैजल, पिता–सैयद समरूल के नाम से संचालित जमाबंदी से खाता सं0–146, खेसरा–1303, रकवा–1ए0 84डी0 एवं खाता सं0–407, खेसरा–1225, रकवा–20डी0 की प्रविष्टि जो तत्कालीन राजस्व कर्मचारी श्री अजय कुमार और अंचल अधिकारी श्री सुनील कुमार द्वारा की गई थी, को आर०ओ०आर० के माध्यम से विलोपन की कार्रवाई में वर्तमान अंचल अधिकारी काफी विलंब से दिनांक 01.08.2025 को की गई है एवं खाता सं0–199, खेसरा सं0–1294, रकवा–48 डी० की दोहरी जमाबंदी के सुधार हेतु परिवादी को कई बार निदेशित किए जाने के पश्चात् हितबद्ध रैयत– धर्मजीत कुमार (परिवादी का भाई) द्वारा अपर समाहर्त्ता, नालन्दा के न्यायालय में ऑनलाईन Application ID–0105260305519276 तथा Temp Filing No–41106/2025–26 के माध्यम से जमाबंदी रद्दीकरण वाद दायर किया गया है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्वंय भी अपने स्पष्टीकरण में स्वीकार किया गया है कि अत्याधिक व्यस्तता एवं स्थिति स्पष्ट नहीं रहने के कारण विलोपन की कार्रवाई में विलंब हुआ। मामला संज्ञान में आने के पश्चात् वर्तमान अंचल अधिकारी द्वारा दोहरी जमाबंदी के विलोपन / प्रश्नगत खाता, खेसरा को शून्य करने हेतु त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए थी जो उनके द्वारा नहीं की गई। इस स्तर पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा चूक की गई है जो अपने पदीय उत्तरदायित्व के प्रति शिथिलता, उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

4. आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप श्री चौपाल को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा ''निन्दन'' का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

5. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री रविन्द्र कुमार चौपाल, अंचल अधिकारी, अस्थावॉ, नालन्दा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(I) के तहत **''निन्दन'' (आरोप वर्ष–2025)** का दंड अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(इनायत खान),
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–15/परिवाद (नालन्दा) 12–381/2024–................................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–....................................

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, नालन्दा/श्री रविन्द्र कुमार चौपाल, अंचल अधिकारी, अस्थावॉ, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(इनायत खान),
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–15/परिवाद (नालन्दा) 12–381/2024–....899.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..19.06.26..

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (**मूल में**)/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री चौपाल** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

18/6/24

(इनायत खान),
सरकार के विशेष सचिव।

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\ravindra kr chaupal (CO_asthawa_nalanda)_Nindan.doc